UGC Approved, Journal No. 48416 (IJCR), Impact Factor 6.0 ISSN : 2393-8358

Interdisciplinary Journal of Contemporary Research

An International Peer Reviewed Refereed Research Journal

Vol. 11, No. 1 January, 2024

PEER REVIEWED JOURNAL

EDITOR

Dr. H.L. Sharma
Associate Professor
Shimla, Himachal Pradesh

Dr. Hans Prabhakar Ravidas
Assistant Professor
Department of Performing Arts,
National Sanskrit University, Tirupati

Dr. Anil Kumar
Assistant Professor, Department of History
Rajdhani College, University of Delhi

Published by
VPO Nandpur, Tehsil-Jubbal, District-Shimla, Himachal Pradesh
email : ijcrournal971@gmail.com, Website : ijcrjournals.com

▸	उच्च माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों की कोचिंग के प्रति अभिरूचि का अध्ययन **डॉ0 शिवम सक्सेना, डॉ0 अमर बहादुर एवं डॉ0 मनोज कुमार शर्मा**	93-96
▸	विद्यालयी बच्चों पर प्राणायाम का सकारात्मक प्रभाव **अमृता कुमारी एवं आलोक कुमार पाण्डेय**	98-102
▸	प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की दंड के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन **मनेन्द्र कुमार लहकोडिया, विनोद कुमार शर्मा एवं डॉ0 मनोज कुमार शर्मा**	103-106
▸	माध्यमिक स्तर के राजकीय एवं निजी विद्यालयों में अध्यनरत विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति के स्तर का अध्ययन **गजानंद सैन एवं डॉ0 मोहनलाल मेघवाल**	107-109
▸	माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की सामाजिक वंचना का अध्ययन **महेश चंद जाटव, अमन कुमार एवं डॉ0 मनोज कुमार शर्मा**	110-112
▸	आधुनिक भारत में प्रचलित पश्चिमी उपनिवेशवादी 'कास्ट' की संकल्पना का अवलोकन और समीक्षा **डॉ0 ओंकार चतुर्वेदी**	113-116
▸	उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के संस्थाप्रधानों की कार्यरत जीवन की गुणवत्ता का अध्ययन **जयसिंह जाटव, ज्योति कश्यप एवं डॉ0 मनोज कुमार शर्मा**	117-120
▸	करौली जिले के सरकारी व गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की कक्षा शिक्षण के प्रति जवाबदेही का तुलनात्मक अध्ययन **श्री जगदीश प्रसाद शर्मा, श्री छैल बिहारी शर्मा एवं डॉ0 मनोज कुमार शर्मा**	121-125
▸	माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में नए सीसीई पैटर्न के अनुसार पढ़ाई जाने वाले पाठ्यक्रम का विद्यार्थियों अध्यापकों एवं अभिभावकों के मध्य पाठ्यक्रम संतुष्टीकरण का विश्लेषणात्मक अध्ययन **श्रीमती मुकेशी मीना, श्री नितेंद्र कुमार शर्मा एवं डॉ0 मनोज कुमार शर्मा**	126-128
▸	स्वामी विवेकानन्द के दार्शनिक एवं शैक्षिक चिन्तन का अध्ययन **श्री मनेन्द्र कुमार लहकोडिया, श्री जगदीश प्रसाद शर्मा एवं डॉ0 मनोज कुमार शर्मा**	129-132
▸	सामान्य वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के बी0एड0 में अध्यनरत प्रशिक्षणार्थियों के व्यक्तित्व एवं समायोजन का अध्ययन **विनोद कुमार शर्मा, मो0 आरिफ एवं डॉ0 मनोज कुमार शर्मा**	133-136
▸	स्नातक स्तर पर विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव **मोहम्मद रफी एवं डॉ0 माहेजबी**	137-139
▸	सामान्य एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की नारी की सामाजिक स्वतंत्रता एवं नारी समानता के प्रति अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन **विष्णु कुमार शर्मा, डॉ0 विवेक मिश्रा एवं डॉ0 मनोज कुमार शर्मा**	140-142
▸	The state of Women's Education in India impacting their Work Participation Rates with Special Reference to the Handloom Industry of Pilkhuwa **Anamika Pandey**	143-152
▸	Exploring the Theoretical Foundations of Animal-Assisted Therapy in Alleviating Loneliness among the Geriatric Population **Devyani Awasthi**	153-157

UGC Approved Journal No. 48416 (An International Peer Reviewed Refereed Research Journal) Impact Factor : 6.0
Interdisciplinary Journal of Contemporary Research, Vol. 11, No. 1, January, 2024 ISSN : 2393-8358

प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की दंड के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन

मनेन्द्र कुमार लहकोडिया
सहायक आचार्य, वीणा मैमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पदेवा, करौली (राज0)
विनोद कुमार शर्मा
सहायक आचार्य, (शारीरिक शिक्षा) वीणा मैमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पदेवा, करौली (राज0)
डॉ0 मनोज कुमार शर्मा
प्राचार्य, वीणा मैमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, पदेवा, करौली (राज0)

सारांश

शिक्षा अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में अनुशासन की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस अनुशासन को बनाए रखने के लिए शिक्षक अभिभावक विभिन्न प्रकार के तरीकों का उपयोग करते हैं जिससे महाविद्यालय कक्षा कक्ष एवं घर का वातावरण अनुशासित व अच्छा बना रहे। वर्तमान प्रशिक्षण महाविद्यालयी जीवन में अनुशासन तो होता है। लेकिन कतिपय अवसरों पर इसका प्रशिक्षणार्थियों द्वारा उल्लंघन भी देखने को मिलता है। इसके लिए प्राचीन समय में कठोर दंड व्यवस्था थी लेकिन वर्तमान कालिक परिदृश्य में जनतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत छात्रों को दंड का प्रावधान नहीं है। लेकिन प्रशिक्षण अज्ञानता बस अनुशासनहीनता का परिचय देते हैं। जिससे उन्हें दंड देना भी आवश्यक हो जाता है। महाविद्यालय में प्रशिक्षकों को अनुशासनहीनता पर जो दंड दिया जाता है इस विषय को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता ने इस विषय का चयन किया कि क्या वास्तव में दंड दिया जाना आवश्यक है अगर दंड दिया जाना आवश्यक है तो कितना व किस प्रकार का, जिससे प्रशिक्षणार्थियों के सर्वांगीण विकास पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा इससे शैक्षिक उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके दंड देना एक निषेधात्मक अभिप्रेरक है,जिसका प्रयोग छात्रों को अनुचित कार्यों से विमुख करने के लिए किया जाता है।

शोधकर्ता द्वारा शोध क्षेत्र के रूप में वीणा मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एवं सौरभ शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, खेड़ा, करौली के बीएड प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया। प्रशिक्षण महाविद्यालयों में विभिन्न दंड के प्रयोग के मत में सभी पुरुष व महिला शिक्षकों की सहमति पाई गई। शारीरिक दंड के प्रति 60 प्रतिशत पुरुष शिक्षकों व 55 प्रतिशत महिला शिक्षकों का मत पाया गया जो लगभग समान है। मनोवैज्ञानिक दंड एवं शारीरिक दंड को उचित मानने वाले 98 प्रतिशत छात्रों का मत है जबकि छात्राएं इस मत में 90–92 प्रतिशत है।

प्रस्तावना

राष्ट्र की उन्नति में शिक्षा का योगदान अनिवार्य है। शिक्षा रूपी सशक्त माध्यम के द्वारा हम सुखद, समृद्ध एवं प्रगतिशील राष्ट्र की संरचना कर पाते हैं। शिक्षा अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में अनुशासन की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस अनुशासन को बनाए रखने के लिए शिक्षक अभिभावक विभिन्न प्रकार के तरीकों का उपयोग करते हैं जिससे महाविद्यालय कक्षा कक्ष एवं घर का वातावरण अनुशासित व अच्छा बना रहे। वर्तमान प्रशिक्षण महाविद्यालयी जीवन में अनुशासन तो होता है। लेकिन कतिपय अवसरों पर इसका प्रशिक्षणार्थियों द्वारा उल्लंघन भी देखने को मिलता है। इसके लिए प्राचीन समय में कठोर दंड व्यवस्था थी लेकिन वर्तमान कालिक परिदृश्य में जनतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत छात्रों को दंड का प्रावधान नहीं है। लेकिन प्रशिक्षण अज्ञानता बस अनुशासनहीनता का परिचय देते हैं। जिससे उन्हें दंड देना भी आवश्यक हो जाता है। महाविद्यालय में प्रशिक्षकों को अनुशासनहीनता पर जो दंड दिया जाता है इस विषय को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता ने इस विषय का चयन किया कि क्या वास्तव में दंड दिया जाना आवश्यक है अगर दंड दिया जाना आवश्यक है तो कितना व किस प्रकार का, जिससे प्रशिक्षणार्थियों के सर्वांगीण विकास पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तथा इससे शैक्षिक उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके दंड देना एक निषेधात्मक अभिप्रेरक है,जिसका प्रयोग छात्रों को अनुचित कार्यों से विमुख करने के लिए किया जाता है।

समाजशास्त्री थॉमसन के अनुसार–दंड अवांछित कार्यों के साथ दुखद भावना को संबंधित करके अवांछित कार्यों को रोकने का साधन है।

शोध समस्या कथन–

"प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की दंड के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन।"

शोध समस्या का औचित्य–

शोध समस्या का औचित्य प्रशिक्षण महाविद्यालयों प्रशिक्षणार्थियों को दिया जाने वाले दंड के कारणों को जानना एवं इस समस्या को दूर करने के उपायों को जानना है। अतः इस समस्या के संदर्भ में अभी तक मेरी जानकारी में कोई भी शोध कार्य नहीं हुआ है, इसलिए इस समस्या का अध्ययन करना एक महत्वपूर्ण कार्य है।

शोध समस्या के उद्देश्य –

यह शाश्वत सत्य है कि कोई भी कार्य उद्देश्यहीनता की दृष्टि से उपादेय नहीं हो सकता। अतः प्रयत्न की दिशा तय करने एवं वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि शोध समस्या के उद्देश्य स्पष्ट होता है। उपयुक्त उद्देश्यों का चयन ही सार्थक परिणाम की ओर अग्रसर करता है। इस दृष्टि से शोध समस्या के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं:–

- पुरुष एवं महिला शिक्षकों का प्रशिक्षुओं के प्रति दंड का क्रमशः तुलनात्मक अध्ययन करना।
- प्रशिक्षणार्थियों का दंड के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन करना।

अध्ययन में प्रयुक्त परिभाषित शब्दों की व्याख्या–

प्रशिक्षण महाविद्यालय–

शिक्षक शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए जिस स्थान पर एकत्रित होते हैं एवं नियमित रूप से निश्चित समय के लिए शैक्षिक प्रशिक्षण का कार्य करते हैं।

दंड –

दंड का तात्पर्य प्रशिक्षणार्थियों को शारीरिक एवं बौद्धिक रूप से दुखप्रद स्थिति में रखा जाना जिससे कि वह उन कार्यों को करने से बचे जो उचित नहीं है।

शिक्षक –

प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शैक्षिक प्रशिक्षण कराकर प्रशिक्षणार्थियों का सर्वांगीण विकास करता है वह शिक्षक होता है।

शिक्षार्थी–

महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र–छात्राओं से है जिनका की शिक्षक शिक्षा के माध्यम से सर्वांगीण विकास करते हैं।

दृष्टिकोण–

शिक्षकों, विद्यार्थियों का दंड के प्रति नजरिया ही दृष्टिकोण है।

शोध समस्या की परिकल्पनाएं–

शोधार्थी ने प्रस्तावित लघु शोध में अपने शोध कार्य को पूर्ण करने के लिए उद्देश्यों की प्रकृति अनुसार निम्न परिकल्पनाओं का निर्माण किया जो निम्न प्रकार से अंकित हैः–

- शिक्षकों का छात्र व छात्राओं के प्रति दंडनीय दृष्टिकोण का अध्ययन करना।
- प्रशिक्षणार्थियों का दंड के प्रति दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन।

अध्ययन क्षेत्र का परिसीमन–

प्रस्तुत शोध कार्य वीणा मेमोरियल कॉलेज आफ एजुकेशन, पदेवा, करौली (राजस्थान) एवं सौरव शिक्षण प्रशिक्षण महाविधालय, खेड़ा, करौली (राजस्थान) के बीएड प्रशिक्षणार्थियों तक सीमित रखा गया।

अनुसंधान हेतु प्रयुक्त विधि–

शैक्षिक अनुसंधान की कई विधियाँ है, जिनके आधार पर शोध संपादित कर निष्कर्ष तक पहुंच जाता है। शोध की प्रकृति को देखते हुए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग वर्तमान परिस्थितियों के अध्ययन हेतु किया जाता है अतः प्रस्तुत शोध में समस्या की प्रकृति एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर सर्वेक्षण विधि का चयन किया गया है।

जनसंख्या एवं न्यादर्श–

प्रस्तुत शोध में न्यादर्श चयन के लिए यादृच्छिक चयन पद्धति का उपयोग किया गया है।

न्यादर्श क्षेत्र का परिसीमन –

प्रस्तुत समस्या का शोध क्षेत्र शोधकर्ता द्वारा वीणा मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एवं सौरभ शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, खेड़ा, करौली के बीएड प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया।

महाविद्यालय चयन–

यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा शोध क्षेत्र में दो गैर सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों (बी.एड.) का चयन किया गया।

शिक्षकों का चयन–

दोनों महाविद्यालयों में से 12 महिला शिक्षक व 20 पुरुष शिक्षकों का चयन किया गया इस प्रकार महिला एवं पुरुष शिक्षकों की कुल संख्या 32 ली गई।

विद्यार्थियों का चयन–

दोनों प्रशिक्षण महाविद्यालयों से बीएड प्रथम व द्वितीय वर्ष के 50 छात्र एवं 50 छात्राओं का चयन किया गया इस प्रकार कुल प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 100 है।

शोध उपकरण–

शोध में दो प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है– 1–मानकीकृत, 2–स्वनिर्मित उपकरण।

प्रस्तुत शोध में स्वनिर्मित उपकरणों का प्रयोग किया है क्योंकि इस संबंध में कोई मानकीकृत उपकरण उपलब्ध नहीं है।

शोधकर्ता ने अपने शोध में एक स्वनिर्मित उपकरण का प्रयोग किया है– 1–अभिमत अनुसूची–शिक्षकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए।

शोध अध्ययन का सांख्यिकीय विश्लेषण

1. शारीरिक दण्ड के प्रति शिक्षकों का अभिमत

(शारीरिक दण्ड के प्रमुख घटकों के प्रति शिक्षकों (महिला/पुरूष) के अभिमतों का तुलनात्मक अध्ययन)

क्र.सं.	शारीरिक दंड के घटक	पुरूष शिक्षकों की संख्या	प्रतिशत	मतों की कुल आवृति	महिला शिक्षकों की संख्या	प्रतिशत	मतों की कुल आवृति
1	पिटाई करना	11	55	23	8	40	18
2	मुर्गा बनाना	10	50	21	1	5	1
3	हाथ खडे करवाना	6	30	10	10	50	14
4	दण्ड बैठक लगवाना	5	25	8	2	10	2

2. मनोवैज्ञानिक दण्ड के प्रति शिक्षकों का अभिमत

(मनोवैज्ञानिक दण्ड के प्रमुख घटकों के प्रति शिक्षकों (महिला/पुरूष) के अभिमतों का तुलनात्मक अध्ययन)

क्र.सं.	मनोवैज्ञानिक दंड के घटक	पुरूष शिक्षकों की संख्या	प्रतिशत	मतों की कुल आवृति	महिला शिक्षकों की संख्या	प्रतिशत	मतों की कुल आवृति
1	डांटना–फटकारना	13	65	23	2	10	2
2	अपमानित करना	14	70	22	7	35	11
3	मजाक उडाना	8	40	11	2	10	3

3. आर्थिक दण्ड के प्रति शिक्षकों का अभिमत

(आर्थिक दण्ड के प्रति शिक्षकों (महिला/पुरूष) के अभिमतों का तुलनात्मक अध्ययन)

क्र.सं.	मनोवैज्ञानिक दंड के घटक	पुरूष शिक्षकों की संख्या	प्रतिशत	मतों की कुल आवृति	महिला शिक्षकों की संख्या	प्रतिशत	मतों की कुल आवृति
1	जुर्माना लगाना	9	45	11	4	20	4

1. शारीरिक दण्ड के प्रति विद्यार्थियों का अभिमत

(शारीरिक दण्ड के प्रमुख घटकों के प्रति विद्यार्थियों (छात्र/छात्रा) के अभिमतों का तुलनात्मक अध्ययन)

क्र.सं.	शारीरिक दंड के घटक	छात्रों की संख्या	प्रतिशत	मतों की कुल आवृति	छात्राओं की संख्या	प्रतिशत	मतों की कुल आवृति
1	पिटाई करना	47	94	106	33	66	39
2	मुर्गा बनाना	49	98	236	45	90	176
3	हाथ खडे करवाना	20	40	25	33	66	39
4	दण्ड बैठक लगवाना	32	64	39	35	70	42

2. मनोवैज्ञानिक दण्ड के प्रति विद्यार्थियों का अभिमत

(मनोवैज्ञानिक दण्ड के प्रमुख घटकों के प्रति विद्यार्थियों (छात्र/छात्रा) के अभिमतों का तुलनात्मक अध्ययन)

क्र.सं.	मनोवैज्ञानिक दंड के घटक	छात्रों की संख्या	प्रतिशत	मतों की कुल आवृति	छात्राओं की संख्या	प्रतिशत	मतों की कुल आवृति
1	डांटना–फटकारना	33	66	55	29	58	33
2	अपमानित करना	37	74	61	37	74	67
3	मजाक उडाना	20	40	27	19	38	23

3. आर्थिक दण्ड के प्रति विद्यार्थियों का अभिमत

(आर्थिक दण्ड के प्रति विद्यार्थियों (छात्र/छात्रा) के अभिमतों का तुलनात्मक अध्ययन)

क्र.सं.	मनोवैज्ञानिक दंड के घटक	छात्रों की संख्या	प्रतिशत	मतों की कुल आवृति	छात्राओं की संख्या	प्रतिशत	मतों की कुल आवृति
1	जुर्माना लगाना	37	74	50	22	44	26

दण्ड के प्रमुख क्षेत्रों के प्रति विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का अभिमत

(दण्ड के प्रमुख घटकों के प्रति शिक्षकों व विद्यार्थियों के अभिमतों का तुलनात्मक अध्ययन)

क्र.सं.	दण्ड के घटक	पुरूष शिक्षकों संख्या	महिला शिक्षकों की संख्या	छात्रों की संख्या	छात्राओं की संख्या
1	शारीरिक दण्ड	60%	55%	98%	90%
2	मनोवैज्ञानिक दण्ड	80%	95%	98%	92%
3	आर्थिक दण्ड	60%	55%	46%	44%

शोध से प्राप्त निष्कर्ष एवं सुझाव–

शोध अध्ययन में निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुए–

- प्रशिक्षण महाविद्यालयों में विभिन्न दंड के प्रयोग के मत में सभी पुरुष व महिला शिक्षकों की सहमति पाई गई।
- शारीरिक दंड के प्रति 60 प्रतिशत पुरुष शिक्षकों व 55 प्रतिशत महिला शिक्षकों का मत पाया गया जो लगभग समान है।
- मनोवैज्ञानिक दंड एवं शारीरिक दंड को उचित मानने वाले 98 प्रतिशत छात्रों का मत है जबकि छात्राएं इस मत में 90–92 प्रतिशत है।

अग्रिम अध्ययन हेतु सुझाव

शोधकर्ता द्वारा भावी शोध हेतु निम्न सुझाव प्रस्तुत है जो निम्न प्रकार है–

- प्रस्तुत शोध केवल दो प्रशिक्षण महाविद्यालयों से संबंधित है यह कई प्रशिक्षण महाविद्यालयों पर किया जा सकता है।
- इसका अध्ययन सरकारी, गैर सरकारी व अनुदानित महाविद्यालयों के संदर्भ में भी किया जा सकता है।
- महाविद्यालय में दंड के प्रयोग के वास्तविक कारणों का पता लगाने के संदर्भ में भी शोध किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

- अरोड़ा, रीता, मरवाहा, सुदेश (2005) "शिक्षण एवं अधिगम के मनोसामाजिक आधार", शिक्षा प्रकाशन, जयपुर
- भटनागर, आर.पी., अग्रवाल विद्या (2005) "शैक्षिक प्रशासन", लॉयल बुक डिपो, मेरठ
- गुप्ता, एस.पी., अल्का (2007) "सांख्यिकीय विधियाँ", शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद